सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 4 अक्टूबर र 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), नई दिल्ली के बैठक कक्ष में आयोजित वित्त समिति की 24वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य:

1.	प्रो.अविनाश खरे, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. डी.आर. अग्रवाल [कोर्ट द्वारा नामित]	सदस्य
3.	प्रो.डी.पी. सरकार [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
4.	प्रो. प्रमोद टंडन [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
5.	प्रो. एन.के. पासवान [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
6.	श्री जी.सी. हसूर [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य (श्री सूरत सिंह डीएस, एमएचआरडी द्वारा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व)
7.	श्रीमति दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य (श्रीमति किरण अरोरा , यूएस (वित्त) , एमएचआरडी (आईएफ़डी) द्वारा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व)
8.	श्री देबाशीष पाल [वित्त अधिकारी]	सचिव
9.	प्रो. जे.पी.तामांग	विशेष आमंत्रित
10	श्री टी. के. कौल, कुलसचिव	विशेष आमंत्रित

बैठक का कोरम पूरा हो चुका है , अध्यक्ष ने बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा की। अध्यक्ष ने बैठक में पहली बार भाग ले रहे एमएचआरडी (आईएफडी) ब्यूरो से विजिटर द्वारा नामित श्रीमति किरण अरोरा , यूएस (वित्त) , एमएचआरडी (आईएफ़डी) को खदा देकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया।

इसके बाद समिति ने एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी।

खंड – 1
कार्यवृत की संपुष्टि एवं कारवाई रिपोर्ट

एफ़सी: 24.1.1 दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23वीं बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि :

दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23वीं बैठक के कार्यवृत सभी सदस्यों को दिनांक 4 जून 2019 को वितरित किया गया था। परिषद के किसी सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 24 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की जाती है।

एफ़सी: 24.1.2 दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23वीं बैठक के कार्यवृत पर ली गयी कारवाई की रिपोर्ट:

सचिव ने दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23वीं बैठक के कार्यवृत पर ली गयी कारवाई की निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:

1. पहला, सचिव ने बताया कि मेसर्स टीसीई लिमिटेड ने दिनांक **11** फरवरी **2019** को अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद पीएमसी कार्य को छोड़ दिया है, हालांकि निर्माण कार्य (पैकेज-**I** का चरण-**I)** प्रगति पर है और दिनांक **31** दिसंबर, **2019** के अंदर पूरा होने की संभावना है। विश्वविद्यालय ने समान नियमों और शर्तों पर मेसर्स टीसीई लिमिटेड के साथ अनुबंध के नवीकरण के लिए प्रस्ताव शुरू किया था , लेकिन पीएमसी ने अनुबंध नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब पीएमसी का काम हमारे अभियांत्रिक प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।
2. दूसरा, वित्त समिति की बैठक में एमएचआरडी (आईएफ़डी) और यूजीसी (सीयू) के सदस्यों के सुझावों के अनुसार विश्वविद्यालय ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य (पैकेज- **I** का चरण- **I)** के शेष भाग के लिए विशेषज्ञ संस्थान/संगठन की नियुक्ति हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के सुझाव के लिए एमएचआरडी की परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को पत्र लिखा है। एमएचआरडी (सीयू ब्यूरो) की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।
3. इसके अलावा , सचिव ने बताया कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 12.09.2019 के पत्र संख्या सं. एसयू/2008/एफआईएन -02/यूजीसी-26/ऑर्डर-004/936 द्वारा यूजीसी से दिनांक 31 मार्च 2020 तक भवन निर्माण के लिए बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता के उपयोग को विस्तार देने का अनुरोध किया है। यूजीसी (सीयू) की तरफ से अंतिम निर्णय का इंतजार है।
4. विश्वविद्यालय ने जेएस (सीयू) ,यूजीसी से दिनांक 01.05.2019 के पत्र सं. SU/FIN/F-3/2018/01-Vol-III/146 द्वारा चल रहे परिसर निर्माण परियोजना को पूरा करने के लिए रु 40.22 करोड़ शेष अनुदान राशि को जारी करने का भी अनुरोध किया था। एजेंडा मद सं. एफसी: 23.24.2 में दिनांक 24 मई 2019 को आयोजित वित्त समिति की 23 वीं बैठक द्वारा अनुशंसित किया गया था।
5. सचिव ने बताया कि पिछली वित्त समिति की बैठक में एमएचआरडी (आईएफडी) के सदस्य ने सुझाव दिया था कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट/लेखापरीक्षा पैरा में निहित टिप्पणियां जो प्रकृति में गंभीर हैं एवं समयबद्ध मामले में अनुपालन करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय ने बताया गया कि दिनांक 02.07.2018 के पत्र क्रमांक सं. **SU**/2017/**FIN-**02/**AA/**2016-17/3075**Vol-II/**555 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निरीक्षण रिपोर्ट के बाद शेष लेखापरीक्षा पैरा पर जवाब दिया गया है। सचिव ने आगे बताया कि कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सिक्किम के वित्तीय सलाहकारों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए दिनांक 31 मई, 2019 से 14 जून, 2019 तक सिक्किम विश्वविद्यालय के खातों की निरीक्षण लेखापरीक्षा की। वर्ष 2016-17 से बकाया लेखा परीक्षा पारा के साथ निरीक्षण लेखापरीक्षा रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) सिक्किम से प्रतीक्षित है।

समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कारवाई का उल्लेख किया।

इसके अलावा, समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई के लिए सारणीबद्ध प्रारूप को अगली वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने की अनुसंशा की।

खंड – 2

सूचनात्मक विषय

एफ़सी: 24.2.1 : वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (30.06.2019 तक) के दौरान वेतन, आवर्ती और पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतर्गत निधि की उपयोग की सूचना:

समिति ने 2017-18 , 2018-19 और 2019-20 (30.06.2019 तक) के दौरान निधियों के उपयोग को जीएफआर 12 में उपयोग प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप I में VI के साथ वेतन , आवर्ती और पूंजीगत परिसंपत्तियों के तहत व्यय के विवरण द्वारा समर्थित प्रत्येक योजना के लिए अलग प्रारूप प्रस्तुत करने का उल्लेख किया। जिसे यूजीसी को दिनांक 25.07.2019 को पत्र क्रमांक सं.SU/FIN/F-3/2019/01/Vol IX/UGC /Unspent Balance /2019-20/620 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

एफ़सी: 24.2.2 यूजीसी के निर्धारित प्रारूप में भवन परियोजनाओं के लिए बारहवीं योजना व्यय:

सचिव ने वित्त समिति के समक्ष नवीनतम तस्वीरों के साथ चल रहे कैंपस निर्माण कार्य (पैकेज-I के चरण-I) की विस्तृत वित्तीय प्रगति और भौतिक प्रगति पर प्रस्तुत दी। सदस्यों ने चल रहे कैंपस निर्माण कार्य(पैकेज- I का चरण-I) की वित्तीय प्रगति और भौतिक प्रगति का उल्लेख किया।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर निर्माण कार्य के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए डोनर , अन्य निजी एजेंसियों आदि से धन प्राप्त करने की संभावना को तलाशा जा सकता है।

खंड – 3

अनुसमर्थन विषय

शून्य

खंड – 4

विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी: 4.1.1 वार्षिक लेखा 2018 – 19:

सचिव ने सदस्यों के समक्ष एमएचआरडी द्वारा जारी संशोधित प्रारूप खाता के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। वित्त समिति ने वार्षिक लेखा 2018-19 को मंजूरी दी और इसे अनुमोदन के लिए कार्यकारी परिषद के पास भेज का सुझाव दिया। वार्षिक लेखा 2018-19 को महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), सिक्किम द्वारा लेखा परीक्षित कराया जाएगा।

एफ़सी: 4.1. 2 वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन:

सदस्यों ने इस एजेंडा विषय पर गंभीर चर्चा की और मूल रूप से वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया, बशर्ते कि यह सत्यापित किया जाए कि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन से विश्वविद्यालय की संविधियों और अध्यादेशों में उल्लेखित सांविधिक प्रावधानों के साथ कोई संघर्ष , विरोधाभाष पैदा नहीं करता हो। साथ ही वित्त समिति के विनियमों के अनुसार क्या वित्त समिति कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए लिए वित्तीय समिति के प्रत्यायोजन की सिफ़ारिश करने के लिए सक्षम है, इसकी भी पुष्टि करता हो। दूसरा, समिति ने यह रिकॉर्ड रखा कि विश्वविद्यालय के संविधियों और अध्यादेश में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्त अधिकारी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं है।

इसके अलावा, समिति ने अगली वित्त समिति की बैठक में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को एक अलग एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करने की संस्तुति दी।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

.

हस्ता./- **हस्ता./-**

(प्रो. अविनाश खरे) **(देबाशीष पाल)**

कुलपति और अध्यक्ष **वित्त अधिकारी और**

वित्त समिति **सचिव वित्त समिति**